

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)
प्रेस नोट

➤ सीकर के पुलिस थाना रींगस, के एसआई एवं हेड कांस्टेबल 8,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, दिनांक 30 जून, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई सीकर द्वारा आज ट्रैप कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना रींगस, जिला सीकर में पदस्थापित सांवताराम, सहायक उप निरीक्षक (एसआई) एवं जयसिंह, हेड कांस्टेबल (नं.314) को 8,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सीकर इकाई को शिकायत प्राप्त हुई थी कि पुलिस थाना रींगस में दुर्घटना के प्रकरण में जब्त परिवादी की गाड़ी को छुड़वाने की एवज में आरोपी सांवताराम, एसआई द्वारा 8,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है।

मांग सत्यापन के दौरान आरोपी सांवताराम, एसआई द्वारा परिवादी से 8,000/- रुपये बतौर रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। मांग की पुष्टि होने के उपरांत आज ए.सी.बी. के उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरवीजन में ए.सी.बी. इकाई सीकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार एवं पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील के नेतृत्व में गठित ट्रैप दल द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी सांवताराम, एसआई द्वारा अपने सहयोगी श्री जयसिंह, हेड कांस्टेबल के माध्यम से परिवादी से 8,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करवाई गई। ट्रैप दल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जयसिंह, हेड कांस्टेबल को रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए तथा आरोपी सांवताराम, एसआई को उक्त रिश्वत प्रकरण में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया।

आरोपीगण से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।